

अनंतन च्यारी वार्ड वनाम राजेश उर्फ राजेश
उ.स. 118/2023
धारा - 212 RTI

12/12
2024

पत्रावली पेश हुई P.O. साधु अकलेश
पर होने से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
8/12 को पेश की जावे।
B.O.
अकलेश

08/01
2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय
में अनुपस्थित। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को न्यायालय
द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग
समय पर आवाज लगावाई गई ताबजूद प्रार्थी व
वकील प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः
उत्तरण में न्यायालय में प्रार्थी की और से पेशी
हेतु उपस्थित नहीं होने से प्रार्थना-पत्र इसी स्तर
पर अदम हाजिरी अदम पेशी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार ही दर्ज रजिस्टर
से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (वि. नौकाड)

